भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 173
02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी

173. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री संजय सदाशिराव मांडलिक :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गणतंत्र दिवस परेड में संबंधित राज्यों की झांकी को शामिल न किए जाने के लिए सरकार को विभिन्न राज्यों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अगले तीन गणतंत्र दिवस समारोहों में अपनी झांकी प्रदर्शित करने के लिए समान अवसर दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गणतंत्र दिवस समारोहों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की झांकियों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई/अपनाए जाने वाले मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की झांकियों को समारोह में शामिल न करने का निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) जी, नहीं। तथापि, कुछ राज्यों ने उनके झांकी प्रस्तावों को शामिल नहीं किए जाने के मामले को उठाया है।

(ख) जी, हां। रक्षा मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच निम्नलिखित हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

(i) गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर झांकियों का प्रदर्शन;

(ii) लाल किला में भारत पर्व; और

(iii) राज भवनों में ऐट होम कार्यक्रम ।

(ग) आज की तारीख तक 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने **अनुबंध** के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ) गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी करने के लिए झांकियों के चयन हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसके अनुसार रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से झांकियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्राप्त हुए झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति की कई बैठकों में किया जाता है जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति शामि□□ल होते हैं। विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिश देने से पूर्व झांकी की विषय-वस्तु, संकल्पना, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति द्वारा परेड की सम्पूर्ण समयावधि में झांकियों के लिए आबंटित समय के दृष्टिगत इन झांकियों को शार्टलिस्ट किया जाता है।

"गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी'' के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 173 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश
2	अरूणाचल प्रदेश
3	असम
4	छत्तीसगढ़
5	गोवा
6	गुजरात
7	हरियाणा
8	हिमाचल प्रदेश
9	झारखण्ड
10	कर्नाटक
11	केरल
12	मध्य प्रदेश
13	महाराष्ट्र
14	मणिपुर
15	मेघालय
16	ओडिशा

17	पंजाब
18	राजस्थान
19	तमिलनाडु
20	तेलंगाना
21	त्रिपुरा
22	उत्तर प्रदेश
23	उत्तराखंड
24	दिल्ली
25	चंडीगढ़
26	दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव
27	जम्मू और कश्मीर
28	लद्दाख
29	लक्षद्वीप

*****